

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 02/09/2026.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा:-

XX

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के आलोक में गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के वेबसाइट रख-रखाव, सॉफ्टवेयर विकास, अनुश्रवण एवं कॉल सेन्टर की स्थापना में कार्यरत कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 अर्थात् तीन माह की कुल बकाया राशि रुपये 33,99,216/- (तैंतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ सोलह रुपये) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के आलोक में गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के वेबसाइट रख-रखाव, सॉफ्टवेयर विकास, अनुश्रवण एवं कॉल सेन्टर की स्थापना में कार्यरत कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 अर्थात् तीन माह की कुल बकाया राशि रुपये 33,99,216/- (तैंतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ सोलह रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- उक्त स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी मेसर्स ड्रीमलाईन टेक्नोलॉजी प्रा०लि० के द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार मानवबल उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराये गये मानवबल का पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा माह जनवरी, 2026 एवं फरवरी, 2026 माह के विपत्र की कुल राशि रुपये 22.53246 लाख (बाईस लाख तिरपन हजार दो सौ छियालीस रुपये) मात्र को पारितार्थ कोषागार में प्रस्तुत किया गया, परन्तु कोषागार द्वारा पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप सी०एफ०एम०एस० प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत राशि के विरुद्ध राशि की

निकासी नहीं की जा सकी तथा माह मार्च 2026 के पारिश्रमिकी भुगतान हेतु विपत्र की राशि रुपये 11.45970 लाख (ग्यारह लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सत्तर) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह अप्रैल, 2026 में प्राप्त हुआ, फलतः माह जनवरी से माह मार्च, 2026 तक के विपत्र के कुल राशि रुपये 33.99216 लाख (तैंतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ सोलह रुपये) मात्र की राशि का भुगतान चयनित एजेंसी को किया जाना आवश्यक है।

3. यह योजना एक चालू योजना है।
4. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के क्रियान्वयन फलस्वरूप बकाया राशि के भुगतान हेतु प्रस्तुत देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।
5. योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।
6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित राशि (संलग्न व्यय विवरणी के अनुरूप) की निकासी निदेशक, गव्य, बिहार के द्वारा एकमुश्त/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बंधेज सीमा अन्तर्गत निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर चयनित एजेंसी यथा- मेसर्स ड्रीमलाईन टेक्नॉलाजी प्रा०लि० के बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा।
8. इस योजना के तहत योजना का सफल क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ अन्तर्गत विपत्र कोड 02-2404001020115 के तहत विषय शीर्ष-0115-28.03 -कन्सल्टेंसी मद, में प्रथम अनुपूरक आगणन से बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।
9. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि का बजट उपबंध उपलब्ध है।
10. इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, माँग संख्या-02, उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष-0115-28.03 -कन्सल्टेंसी मद, विपत्र कोड 02-2404001020115 मद से व्यय की जायेगी।
11. निदेशक, गव्य, बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।

12. यह स्कीम राज्य स्कीम अन्तर्गत एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका 6 एस०एस०(6)04/2024 के पृष्ठ-31/टि० एवं दिनांक-25.08.2026.
13. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)04/2024 के पृष्ठ-30/टि० डायरी सं०-561, दिनांक-17.08.2026.
14. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04/2024-4793 / पटना-15, दिनांक-02/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04/2024-4793 / पटना-15, दिनांक-02/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04/2024-4793 / पटना-15, दिनांक-02/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना/मेसर्स ड्रीमलाईन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04/2024-4793 / पटना-15, दिनांक-02/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04 / 2024- 4793 / पटना-15, दिनांक- 02 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)04 / 2024- 4793 / पटना-15, दिनांक- 02 / 09 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के आलोक में गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के वेबसाइट रख-रखाव, सॉफ्टवेयर विकास, अनुश्रवण एवं कॉल सेन्टर की स्थापना में कार्यरत कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 अर्थात् तीन माह की कुल बकाया राशि रुपये 33,99,216/- (तैंतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ सोलह रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में व्यय विवरणी:-

विपत्र कोड 02-2404001020115, विषय शीर्ष-0115.28.03 -कन्सल्टेंसी मद

योजना विवरणी	माह का नाम	(राशि रुपये में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत विभागीय राज्यादेश संख्या-2324, दिनांक-26.05.2025 के आलोक में गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के वेबसाइट रख-रखाव, सॉफ्टवेयर विकास, अनुश्रवण एवं कॉल सेन्टर की स्थापना में कार्यरत कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 अर्थात् तीन माह की कुल बकाया राशि की स्वीकृति के संबंध में।	जनवरी 2026	11,27,357 /-	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	फरवरी 2026	11,25,889 /-		
	मार्च 2026	11,45,970 /-		
कुल योग :-		33,99,216 /-		

(रुपये तैंतीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ सोलह) मात्र।

4793
02/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव